

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

\*RM वाद संख्या-155/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

सुलेखा देवी बनाम अलोमी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

सुलेखा देवी, पति-स्व जयराम महतो, ग्राम-जीन्तु टोला-पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

अलोमी देवी, पति-श्री कृष्ण महतो, ग्राम-जीन्तु टोला पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12/12/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता अलोमी देवी, पति-श्री कृष्ण महतो, ग्राम-जीन्तु टोला पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
जिन्तु	सोनाहातु	64	180	1701	39 डी० मध्ये 05 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-184(ii) दिनांक-13/06/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम बहादुर महतो है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्रवधु है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम रतन महतो है, तथा रैयत के पास कुल 39 डी० भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2017-18 तक वसूली गयी है।





- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्रवधु है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 0.8 डी० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बेटी के शादी में खर्च हेतु विक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही ग्राम तथा थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता सुलेखा देवी, पति-स्व० जयराम महतो, ग्राम-जीन्तु टोला-पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, को क्रेता अलोमी देवी, पति-श्री कृष्ण महतो, ग्राम-जीन्तु टोला पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/12/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुलेखा देवी, पति-स्व० जयराम महतो, ग्राम-जीन्तु टोला-पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, को क्रेता अलोमी देवी, पति-श्री कृष्ण महतो, ग्राम-जीन्तु टोला पुंडदाग, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


#### भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
जिन्तु	सोनाहातु/64	180	1701	39 डी० मध्ये 05 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

  
02/07/19  
भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

  
02/07/19  
भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।